न्यायालय परगनाधिकारी धामपुर
वाद सं0 ...1316030004537 धारा 80 UP RC 2006
सर्वोदय जन कल्याण चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा ट्रस्टी शिखा सिंह
मौजा पीपलसाना 400 धामपुर
आख्या हेतु

महोदय,

संलग्न प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी सर्वोदय जन कल्याण चैरिटेबिल ट्रस्ट स्थित कालागढ रोड निकट पुराना टेलीफोन एक्सचेंज धामपुर द्वारा ट्रस्टी डा0 शिखा सिह पत्नी डा0 नवेन्द्र प्रताप सिह निवासी कालागढ रोड निकट पुराना टेलीफोन एक्सचेंज धामपुर, तहसील धामपुर जिला बिजनौर द्वारा राजस्व संहिता 2006 व राजस्व संहिता नियमावली 2016 की धारा 80 के अन्तर्गत न्यायालय परगनाधिकारी, धामपुर (बिजनौर) वाद सं0/2016 के अन्तर्गत इस आशय से दिया गया है कि मौजा पीपलसाना परगना व तहसील धामपुर में स्थित खसरा नं0 17/1 रकवई 1.898हे0 में से 0.421हे0 संक्रमणीय भूमिधर भूमि को अकृषिक भूमि घोषित की जाये। जिसमें महोदय द्वारा जॉच कर आख्या दिये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में अभिलेखीय (खसरा, खतौनी, नजरी नक्शा, सी0एच0–45 आदि) का परीक्षण व स्थलीय निरीक्षण किया गया। जांच मे पाया गया कि मौजा पीपलसाना परगना व तहसील धामपुर की खतौनी वर्ष 1421–1426 फसली के खाता सं0 185 गाटा सं0 17/1 रकवई 1.898हे0 भूमि पर प्रार्थिनी सर्वोदय जन कल्याण चैरिटेबिल ट्रस्ट स्थित कालागढ रोड निकट पुराना टेलीफोन एक्सचेंज धामपुर द्वारा ट्रस्टी डा0 शिखा सिह पत्नी डा0 नवेन्द्र प्रताप सिह निवासी कालागढ रोड निकट पुराना टेलीफोन एक्सचेंज धामपुर, तहसील धामपुर जिला बिजनौर का नाम संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार के रूप में अंकित है, जिसमें से प्रार्थिनी द्वारा बैनामे से 1/2 भाग यानि 0.949हे0 भूमि पंजीकृत बैनामे द्वारा कय की गयी है, जिसमें से प्रार्थिनी द्वारा 0.421हे0 भूमि अकृषिक भूमि घोषित किये जाने को प्रार्थना की गयी है। उक्त गाटा सं0 17/1 में 0.421हे0 भूमि कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन तथा मतस्य पालन के कार्य में नहीं लायी जा रही है। मौके पर उक्त भूमि खाली पड़ी है तथा आवासीय प्रयोजन में नही लायी जा रही है। राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा 80 के अन्तर्गत ऐसे खातेदार जो स्वयं के आवासीय प्रयोजन में उपयोग नहीं कर रहे हो उनके लिए 1 प्रतिशत शुल्क अधिरोपित करने की व्यवस्था दी गयी है। उक्त प्रस्तावित भूमि राज्य मार्ग पर स्थित है। इसलिए रेट लिस्ट के अनुसार सरकारी रेट 24,00,000/रू0 प्रति हैक्टेयर की दर से उक्त भूमि की मालियत (0.421 × 24,00,000रू0) = 10,10,400/– रूपये है, जिसका 1 प्रतिशत 10,104/– रूपये देय होता है।

अतः ग्राम पीपलसाना परगना व तहसील धामपुर की खतौनी वर्ष 1421–1426 फसली के खाता सं0 185 खसरा नं0 17/1 रकवई 1.898हे0 के 1/2 भाग में से 0.421हे0 भूमि लगान रू0 10.25 को राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शुल्क लिये जाने के उपरान्त अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

18.04.17

राजस्व निरीक्षक
हसैनपुर हमीद।
20/04/17

अभिलेख से प्रमाणित नहीं है तथा शपथ पत्र अनुसार भूमि कृषि-पशुपालन में प्रयुक्त नहीं है। आख्या से प्रमाणित नहीं है।
18.04.17

महोदय,
आख्या
21.4.17